न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या — 53 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
उमेशसिंह पुत्र जवानसिंह, जाति राजपूत,निवासी रोडला, तहसील आहोर, जिला जालोर		मेघवाल समाज सभा भवन, जरिये :– 1.हरीश माधव पुत्र पीराजी 2.आशाराम पुत्र चूनाजी, 3.भूराराम पुत्र मंशाजी 4.हिमताराम पुत्र जीवाजी 5.मालाराम बाराडा पुत्र चूनाजी 6.हंसाराम चूण्डावत् पुत्र गणेशाजी 7.मंगलाराम रेड्डी पुत्र जीवाजी 8.सवाराम रेड्डी पुत्र छोगाजी 9.सोनाराम चूण्डावत पुत्र गेनाजी 10. मोहनलाल पुत्र स्वरूपाजी 11.लादूराम पुत्र वगताजी 12.असाराम रेड्डी पुत्र जीवाजी 13.पकाराम पुत्र गोमाजी 14.कपूराराम रेड्डी पुत्र लच्छाजी 15.दिनेशकुमार बराडा पुत्र खीमारामजी 16.खीमाराम रेड्डी पुत्र गणेशाजी 17.पूखाराम पुत्र गोमाजी 18.रगाराम रेड्डी पुत्र दलारामजी 19.मगाराम पुत्र नवाजी तमाम जातियान् मेघवाल,निवासीगण रोडला, तहसील आहोर, जिला जालोर 20.ग्राम पंचायत रोडला जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत रोडला, पंचायत समिति आहोर,जिला जालोर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतीराज अधिनियम 1994
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत रोडला दिनांक 20.2.2017 (पट्टा सं.3)

उपस्थितिः–

1.श्री तेजसिंह बालावत्, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से।
2.श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 से 19 की ओर से।
3,श्री मुकेश राजपुरोहित,विद्वान अभिभाषक, अप्रार्थी सं.20 की ओर से।

निर्णय दिनांक 5.11.2019

1. प्रार्थी के निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं.1से 19 ,ग्राम रोडला की आबाद भूमि में मेघवाल समाज का 50 साल से कब्जा होने तथा मेघवाल समाज के सभाभवन होने के नाम से ग्राम रोडला में पट्टे हेतु आवदन पेश किया,जिस पर ग्राम पंचायत ने आशाराम के बयान दर्ज किये तथा ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण व सरपंच के साइन कर आम सूचना बताते हुए दिनांक 20.2.2017को पंचायती राज अधिनियम के नियम 157(2) के तहत् मेघवाल समाज सभा भवन के नाम से ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने यह निगरानी पेश की है। मेघवाल समाज सभा भवन किसी प्रकार का व्यक्ति संस्थान नहीं है तथा मेघवाल सभा भवन का मेघवाल समाज के लोगों ने जो जमीन बताई है उस पर कभी भी 50 वर्षो से उनका कब्जा नहीं रहो है। पट्टा जारी करने की प्रकिया के तहत् ग्राम पंचायत ने कोई कब्जा समयावधि बाबत् दस्तावेज न तो अप्रार्थीगण ने पेश किया , न ही ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज रेकर्ड पर लिया, बिना किसी आधार पर ग्राम पंचायत ने पुराना कब्जा मानते हुए पट्टा सं. 03 दिनांक 20.2.2017 जारी किया, नियम 157(2) के तहत् 200/–रूपये शुल्क लेकर पुराने मकान हेतु व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जा सकता है लेकिन उपरोक्त पट्टा जारी करते वक्त नियम 157(2) की पालना नही की गई, न ही शुल्क लिया गया, न किसी व्यक्ति के नाम से पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी को उपरोक्त प्लोट के पूर्व दिशा की ओर पडौसी बनाया है जबकि प्रार्थी ने मेघवाल समाज सभा भवन का कभी भी न तो कोई कब्जा पूर्व में देखा ,न ही निर्माण था। प्रार्थी के पडौस में ग्राम पंचायत की भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 से 19 ने जबरदस्ती पत्थर डालकर कब्जा कर नींवे खोद दी तो प्रार्थी ने उनको रोकने का कहने पर अप्रार्थीगण ने कहा कि हमारे नाम से पट्टा है,तब प्रार्थी ने ग्राम पंचायत रोडला से नकले हेतु आवेदन किया,नकले दिनांक 26.2.2019को प्राप्त हुई जो अन्दर म्याद है फिर भी किसी प्रकार की देरी मानी जावे तो धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रार्थनापत्र पेश किया है अतः प्रार्थी की निगरानी

स्वीकार कर ग्राम पंचायत रोडला का मेघवाल समाज सभा भवन के नाम से जारी पट्टा क्रमांक 03 दिनांक 20.2.2017 खारिज करावे। प्रार्थी ने निगरानी के साथ शपथपत्र,धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व फहरिस्त के साथ पट्टे की प्रमाणित प्रति आदि नकले पेश की,इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण सं. 1 से 19 के वकील ने दिनांक 25.9.2019 को एक प्रार्थनापत्र बाबत् निगरानी खारिज करने हेतु पेश किया कि अप्रार्थीगण को पट्टे में कुछ तकनीकी कारण से गलती महसूस होने पर ग्राम पंचायत रोडला को एक प्रार्थनापत्र पेश कर पट्टा खारिज करवाने का निवेदन करने पर ग्राम पंचायत रोडला ने प्रस्ताव लेकर पट्टा सं.3 खारिज कर दिया है। प्रार्थी ने भी निगरानी प्रार्थनापत्र में उक्त पट्टा सं.3 को खारिज करने का अनुतोष मांगा है, जब पट्टा सं.3 का अस्तित्व ही नही रहने से निगरानी प्रार्थनापत्र खारिज करावे। अप्रार्थीगण सं.1से 19 के वकील की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का जवाब प्रार्थी के वकील ने पेश नही किया गया। बहस दरख्वास्त सुनी गई व रैकार्ड का अवलोकन किया गया।

सरपंच,ग्राम पंचायत रोडला ने मेघवाल समाज सभा भवन को दिनांक 20.2.2017 को पट्टा सं.3जारी किया गया है,जब पट्टा ग्राम पंचायत रोडला द्वारा एक बार जारी कर दिया गया है तो उसी पट्टे को ग्राम पंचायत रिव्यू कर ही निरस्त कर सकती है, इस प्रकरण में ग्राम पंचायत रोडला ने मेघवाल समाज सभा भवन के नाम से नियम 157(2)राज. पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत् जारी पट्टा को प्रस्ताव सं. 4 दिनांक 20.6.2019 पारित कर पट्टे को निरस्त माना है,जो गलत है, उक्त पट्टे को इस निगरानी के जरिये ही निरस्त किया जाना उचित है।

ग्राम पंचायत आहोर की मिसल का अवलोकन करने पर समस्त मेघवाल रोडला जरिये हरीश माधव वगैराह का प्रार्थनापत्र दिनांक 20.12. 2016 बाबत् मेघवाल समाज सभा भवन के नाम से पट्टा जारी करवाने, सरपंच, ग्राम पंचायत रोडला संबोधित है,शामिल मिसल है, उस पर पेश होने का कोई मार्क अंकित नही है,उक्त प्रार्थनापत्र को आदेशिका दिनांक 20.12. 2016 प्रस्ताव सं. 8 पर लिया जाकर मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचो की कमेटी बनायी गई है, दिनांक 5.01.17 को प्रस्ताव सं. 3 में मौकानिरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर एक माह का आपत्ति सूचना जारी की ,उसके पश्चात् निर्णय अंकित है लेकिन निर्णय किस दिनांक को लिखा गया है अंकित नही है तथा निःशुल्क पट्टा जारी करने के आदेश में भी सरपंच, ग्राम पंचायत रोडला ने दिनांक अंकित नही की है।

राज.पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों के विनियमितिकरण का प्रावधान है,नियम 157 (1) के अनुसार "जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा :-

(1) 300 वर्गगज तक के क्षैत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षैत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षैत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षैत्रफल :

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व , पचास वर्षो से अधिक =100/-रूपए पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

(ख) (31 दिसम्बर 2016 से ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षो के दौरान्) =200/-रूपए संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

(ii) उपर्युक्त खण्ड (1)में विनिर्दिष्ट क्षैत्रफल से अधिक क्षैत्रफल के लिए ऐसे अधिक क्षैत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम ,2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत। परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उपखण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

(2) ऐसे परिवार , जिनके पास कही भी कोई गृह या गृह-स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झोंपडी /कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 गज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितिकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमियों का पट्टा (प्ररूप 23-ख में) ऐसी महिला के नाम से जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

किसी संस्था को धारा 157(2)राज.पंचायती राज नियम 1996 के तहत् पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत रोडला ने मेघवाल समाज सभा भवन का संनिर्मित पुराना गृह होने के समर्थन में कोई सबूत नहीं लिये और न ही आवेदक ने कोई सबूत इस आशय के प्रस्तुत किये कि नियम लागू होने की तिथि से पूर्व 50 वर्षो के दौरान् उसका मकान बना हुआ है? अथवा 31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान् उसका मकान बना हुआ है? मौका रिपोर्ट जिस पर दिनांक अंकित नही है, में अंकित हैं कि अधिनियम 1996 नियम 157(2) मेघवालों का कब्जा शुदा होने से पट्टा बनाना चाहता है, उक्तानुसार उक्त भूमि पर मकान होने या

प्लोट होने बाबत् स्पष्ट अंकित नही किया गया है, समस्त मेघवाल समाज सभा भवन जरिये हरीश माधव वगैराह के प्रार्थनापत्र दिनांक 20.12.16 में भी ग्राम पंचायत रोडला में पडी आबादी जमीन का मेघवाल समाज सभा भवन को आवंटन करावे, से भी उक्त भूमि खाली प्लोट होना अंकित है। आशाराम के बयान दिनांक 5.1.2017 व ग्रामवासियों के बयान दिनांक 5.1.2017 में भी उक्त भूखण्ड 50 वर्षो से मेघवाल समाज के द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है,बताया है।

उपरोक्तानुसार मेघवाल समाज सभा भवन को निःशुल्क खाली प्लोट का पट्टा सं.3 दिनांक 20.2.2017 धारा 157(2) के तहत् जारी किया गया है जो विधि अनुसार नहीं कहा जा सकता।

आदेश

प्रार्थी का निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत रोडला द्वारा मेघवाल समाज सभा भवन को जारी पट्टा सं. 3 दिनांक 20.2.2017 निरस्त किया जाता हैं।पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 5.11.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.12 11:45:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: